कार्यवृत्त

बुधवार, 23 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 12 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-38
अंक-7

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 में 2 सूचनायें प्राप्त हुई है।

पहली सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री आदेश चौहान, श्री बंशीधर भगत, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री हरभजन सिंह चीमा की है,जो प्रदेश के सरकारी हास्पिटलों में रजिस्ट्रेशन फीस अत्यधिक होने एवं अन्य चार्ज भी बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री भीम लाल आर्य की है, जो चीन-तिब्बत देश की सीमा से लगे सीमान्त गांव गंगी, गेंवाली, पिन्स्वाड़ आदि गांवों में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे पहली सूचना के विषय को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे। दूसरी सूचना को वे प्रथम दृष्ट्या ही अस्वीकार करते हैं।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं एवं स्वीकृत हुईं।

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	''विधान सभा क्षेत्र सल्ट के सराईखेत में वर्षो से पशुचिकित्सक के न होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में।"
2. श्रीमती विजय बड़थ्वाल	''विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत हिंबल नदी पर 2011-12 में स्वीकृत मोटर पुल का निर्माण अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में।''
3. श्री पुष्कर सिंह धामी	''प्रदेश में कई वर्षो से आन्दोलनरत बी0पी0एड0 डिग्री/डिप्लोमा धारकों के रोजगार की मांग के सम्बन्ध में।''
4. श्री दान सिंह भण्डारी	''विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत किसानों को वर्षा के कारण फसल के सड़ने से फल एवं शाक सब्जी के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी एवं सरकार द्वारा किये जाने की मांग के सम्बन्ध में।''
5. श्री यतीश्वरानन्द	"जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में जंगली हाथियों के आतंक के संबंध में।"
6. श्री बिशन सिंह चुफाल	''जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा द्वाली सेरा की पेयजल योजना दो वर्षो से बन्द पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।''

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के न्यायपंचायत कांडाखाल विकास खण्ड द्वारीखाल में पेयजल संकट के समाधान के सम्बन्ध में'' श्री हर्षपति नैथानी, निवासी ग्राम महरगांव, पो0 कांडाखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला कांडी, दुगड्डा मोटर मार्ग को हाट मिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री कपिल रतूड़ी, निवासी ग्राम सीला, पो0 भृगूखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद पौड़ी गढ़वाल के देवीखेत, स्यालना, चमस्यूंल गहली मोटर मार्ग के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भाष्कर डबराल, निवासी ग्राम कूंतणी, पो0 डबोलीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के इण्टर कालेज सिरकोट के प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री इन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम हवीलकुलबान, पो0 सिरकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा जखेड़ा के जूनियर हाईस्कूल जखेड़ा का उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री ईश्वर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम जखेड़ा, पो0 जखेड़ा, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्त क्वैराली का इण्टर में उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री ईश्वरी दत्त चौबे, निवासी ग्राम छाती, पो0 मनकोट, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

माननीय सदस्य, कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' द्वारा नियम-65 में दी गई सूचना का संज्ञान लिए जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे यथाशीघ्र इसका संज्ञान लेकर अपना विनिश्चय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 12 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

<u>फरवरी, 2014</u>

12 बुधवार

1— बजट पर सामान्य चर्चा।

2— विधायी कार्य

1—भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण (15 मिनट)

13 गुरूवार

अनुदान संख्या 05 निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

18 सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

14 शुक्रवार अवकाश (रविदास जयंती)

15 शनिवार अवकाश

16 रविवार अवकाश

17 सोमवार

अनुदान संख्या 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 19 ग्राम्य विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

25 खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा एवं मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

18 मंगलवार

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

अनुदान संख्या 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

24 परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (30 मिनट)

19 बुधवार

अनुदान संख्या 01 विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

02 राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

03 मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

04 न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —तदैव—

08 आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

09 लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।

10 पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट) ——

14 सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

21 उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

22 लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

23 उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। —— (15 मिनट)

27 वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।(15 मिनट) ——

20 गुरूवार

1—विधायी कार्य।

1—उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

2—असरकारी कार्य (आधा दिन)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई।

पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध खनन के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किये जाने विषयक सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री आदेश सिंह चौहान ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद उधमसिंहनगर के पत्थर चट्टा स्थित सैनिक फार्म को निजी कम्पनियों को बेचने तथा भूमि को खुर्द-बुर्द करने विषयक सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत, श्री राजेश शुक्ला तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में बिजली के तारों की स्थिति जीर्णशीर्ण होने विषयक सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री यतीश्वरानन्द ने अपने विचार व्यक्त किय। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीबी झुलाघाट टनकपुर मोटर मार्ग की मरम्मत विषयक सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किय। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयो में इलाज व समस्त परीक्षण में कई गुना मूल्य वृद्धि किये जाने विषयक सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री आदेश सिंह चौहान तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्तमंत्री, प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

वित्तमंत्री, प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

श्री मदन कौशिक द्वारा चर्चा आरम्भ हुई तथा श्री बिशन सिंह चुफाल के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02:00 बजे भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

आय व्ययक पर श्री हरभजन सिंह चीमा के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई।

प्रदेश में विगड़ती कानून व्यवस्था विषयक नियम-58 की सूचना की ग्राहयता पर माननीय सदस्य श्री हरबन्स कपूर एवं श्री मदन कौशिक ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

आय व्ययक पर श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल के भाषण से चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 का उल्लेख करते हुए कहा कि महामहिम राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को विभाग का कार्य आवंटन नही किया गया है। अतः संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण पर श्री अध्यक्ष ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा।

आय व्ययक पर निम्न सदस्यों के अभिभाषण से चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

1. श्री बंशीधर भगत
2. श्री ललित फर्स्वाण,
3. श्री गणेश गोदियाल,
4. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल,
5. श्री आदेश चौहान।

(05:00 **बजे मा0 उपाध्यक्ष पीठ पर आसीन हुए।**)

6. श्री दिलीप सिंह रावत।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत गांव चैतुआखेड़ा से ज्ञानपुर गौढ़ी मार्ग तथा निहाई नदी एवं चैतुआखेड़ा-देवीपुर मार्ग पर बरसाती नाले पर पुल के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थित के प्रस्तावों के संबंध में श्री प्रेम सिंह राणा की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत रा0ई0का0 जौरासी की अनदेखी होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

विधान सभा क्षेत्र तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, तथा

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की गरूड़ वृहद पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव की जांच के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।